कार्यालय जिला परिषद्, बून्दी

क्रमांकःजिपबू / कलिभर्ती2013 /   दिनांक :   अगस्त,2017

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय,
ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग,
पंचायती राज प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एसएलपी संख्या 23508–513 / 2013 राजस्थान राज्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016 में प्रदत्त निर्देशें की अनुपालना में तृतीय श्रेणी एवं प्राथमिक ओर उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2013 के संशेधित परिणाम के अनुसार वरियता सूची के संधारण एवं तदनुसार नए सम्मिलित अभ्यर्थियों के चयन / नियुक्ति के सम्बन्ध में कट ऑफ जारी करने बाबत

संदर्भः–आपका पत्र एफ.917(80)पराप्राशि / 2016 / 883 जयपुर दिनांक 14.8.2017 एवं उपायुक्त(प्रशि) एवं पदेन अति0 निदेशक(एसबीएम) का पत्र संख्या 888 दिनांक 17.8.2017 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2013 के अन्तर्गत मनोनीत एजेन्सी के द्वारा दिनांक 14.08.2017 को संशेधित परीक्षा परिणाम इस जिले को उपलब्ध करवाया गया था। विभागीय निर्देशें की पालना में दिनांक 18.8.2017 को तृतीय श्रेणी भर्ती प्रथम स्तर(कक्षा 1 से 5) द्वितीय स्तर(कक्षा 6 से 8) का संशेधित परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। संशेधित परीक्षा परिणाम के अनुसार श्रेणीवार कट–ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, जो संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

sd

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, बून्दी

जिला परिषद्, बून्दी क्रमांकःजिपबू / कलिभर्ती2013 / 3995   दिनांक :22 अगस्त,2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– जिला कलक्टर महोदया बून्दी
2– उपायुक्त(प्रशि) एवं पदेन अति0 निदेशक(एसबीएम) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर ।
3– जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी बून्दी को भेजकर निवेदन है कि कट ऑफ मार्क्स बून्दी जिले की वेवसाइट पर प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, बून्दी